MR. SPEAKER: I am sorry. Before this, there is another Bill to be introduced by Shri Kamlapati Tripathi. As soon as the previous item is over and his item comes up, he should get up.

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI): I had got up but meanwhile you had called Shri D. K. Borooah.

13.58 hrs.

MAJOR PORT TRUSTS (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Major Port Trusts Act, 1963.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Major Port Trusts Act, 1963."

श्री मधु लिमये (बांका) : इन्होंने मेजर पोर्ट ट्रस्ट एमेंडमेंट बिल पेश करना चाहा है। इस बिल के सम्बन्ध में केवल एक महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं। बम्बई में जो पोर्ट ट्रस्ट है उसने समुद्र की जमीन को भर कर 1300 एकड़ जमीन तैयार की है। महाराष्ट्र सरकार ने रेक्लेमेशन योजना बनायी है, और सब बम्बई में इसके ऊपर विवाद चल रहा है कि समुद्र के नीचे की जो जमीन है उस पर मिलकियत किसकी होनी चाहिए। संविधान की दफा 297 में कहा गया है कि टैरिटोरियल वाटर्ज के नीचे की जो जमीन है वह यूनियन आफ इंडिया की है केन्द्र सरकार की है। लेकिन बंबे रिक्लेमेशन स्कीम के तहत लो वाटर मार्क के समुद्र की तरफ जो जमीन है उसको भी गैरकानूनी ढंग से बेचा जा रहा है और लाखों रूपया उस में बनाया जा रहा है। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत किनारे की फोरशोर वाली जो जमीन है वह पोर्ट ट्रस्ट की मिलकियत है। बम्बई सरकार उसको कैसे बेच रही है। अब इस के बारे में इस बिल में स्पष्ट प्रावधान नहीं होगा तो विवाद चलते रहेंगे। बम्बई में पोर्ट ट्रस्ट की जो जमीन है केन्द्र की जो जमीन है उस के ऊपर आक्रमण हो रहा है। इस विधेयक में इसके बारें में स्पष्ट प्रावधान आप रखें ताकि यह जमीन की चोरी बन्द हो सके।

MR. SPEAKER: He raised this question earlier.

SHRI PILOO MODY (Godhra): It is a question of foreshore also. I have filed a writ in the High Court of Bombay to stop the Maharashtra Government from selling the land that does not belong to it.

MR. SPEAKER: This is not the stage to make this point. He can deal with it in a separate way.

SHRI PILOO MODY: It is Government of India land they are selling.

14.00 hrs.

श्री कमलापति त्रिपाठी : लिमये जी ने जो बात उठाई है उसको वह कंसिडेशन स्टेज पर भी उठा सकते थे इस आपत्ति को तब पेश कर सकते थे। वैसे हमारे बिल में प्राविजन किया गया है कि लो वाटर मार्क और हाई वाटर मार्क के बीच की जो जमीन पड़ती है उसके ऊपर कब्जा यद्यपि आपके पोर्ट ट्रस्ट का है लेकिन उस में कोई कंस्ट्रक्शन, कोई चीज रखना, किसी को देना लेना यह अधिकार उनको नहीं है

unless it is approved by the Government of India.

श्री मधु लिमये : जो पुराना बम्बई पोर्ट ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत सारा फोरशोर पोर्ट ट्रस्ट के तहत है लेकिन इसके बावजूद जमीनों की लूट हो रही है और चोरी हो रही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : पुराना पोर्ट ट्रस्ट एक्ट पूरा का पूरा रिपील किया जा रहा है। यह मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो है यह उस पर लागू किया जा रहा है बम्बई पर भी, कलकत्ता पर भी, मद्रास पर भी। अब परेशानी क्या है? जो परेशानी है उसको आप कंसिड्रेशन की स्टेज पर पेश कर सकते हैं।

श्री मधु लिमये : चोरी हो रही है। लाखों रुपया बाटा जा रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Major Port Trusts Act, 1963".

The motion was adopted.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: I introduce* the Bill.

14.05 hrs.

OIL INDUSTRY (DEVELOPMENT) BILL**

MR. SPEAKER: There is another item under 13A. On the request of the Minister of Petroleum and Chemicals, I have permitted him to introduce a secret Bill without prior circulation of copies of the Bill.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Under what rule of procedure?

MR. SPEAKER: That is within my discretion.

The Minister of Petroleum and Chemicals might now move the motion for leave to introduce the Bill. After the Motion is moved by the Minister and adopted by the House and the Bill is introduced, copies of the Bill will be available at the Publications Counter, and members may collect copies from there.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (ग्वालियर) किसी को विरोध करना हो तो कैसे करेगा?

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): This is violative of rule 72.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कार्यवाही चलाने के कुछ नियम हैं और उनके अनुसार विधेयक पहले दिया जाना चाहिए। अगर मैं प्रारम्भ में ही इसको पेश करते वक्त ही इसका विरोध करना चाहता हूं तो बिना विधेयक मेरे हाथ में हुए मैं कैसे इसका विरोध कर सकता हूं? दूसरी बात यह है कि किसी नियम को आप रद्द कर रहे है या बेव कर रहे हैं तो उसके लिए सदन की अनुमति चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप रूल देखें 19बी।

"No Bill shall be included for introduction in the list of business for a day until after copies thereof have been made available for the use of members for at least two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced.

Provided that Appropriation Bills, Finance Bills and such secret Bills as are not put down in the list of business may be introduced without prior circulation of copies to members."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहले आपको सेटिसफाई करना है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा प्वांइट आफ आर्डर है। आपने जिस कायदे का हवाला दिया है उसके मुताबिक प्रायोर सरक्यूलेशन नहीं होगा लेकिन साइमलटेनियस सरक्यूलेशन नहीं होगा यह कहीं नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि क्या इंट्रोडयूस हो रहा है। यह कहां है इस में?

---

*Introduced with the recommendation of the President.

**Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2. dated 22-7-1974.